



कार्यालय-प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया

विकासखंड-पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ0ग0), महाविद्यालय कोड-2003

Email – pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandaria.ac.in

Accredited "B" Grade By NAAC (CGPA Retting 2.39)



क्रमांक / 427 / स्था. / अतिथि व्याख्याता / 2026-27

पण्डरिया दिनांक 14 / 10 / 2026

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु

कार्यालय आयुक्त उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्र. ESTB 2035/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA. नवा रायपुर दिनांक 18/08/2026 एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के अनुसार इस महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य हेतु अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 24/10/2026 को शाम 05:00 तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता

- अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षको और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानको के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण, के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष हेतु
- छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय / पदों का विवरण

क्रमांक	विषय / पद	रिक्त पद	
		प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक
01	जन्तुविज्ञान	—	01

टीप:- संबंधित विषय में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्त :-

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट / नेट, एम.फिल. / पी-एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 24/10/2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट <http://www.igcollegepandaria.ac.in> पर प्रकाशित किया जाएगा।
05. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाये भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
06. (अ) अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
1	अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक मानदेय (प्रतिदिन 07 घंटा कार्य अवधि)	2000 / - प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50000 / -)	1400 / - प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35000 / -)

07. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम, (छ.ग.)** पिन कोड **491559** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

08. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत / कार्यसंतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं।

09. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य का महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।

10. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

11. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

12. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ, चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधिया, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक/मूल्यांकन संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।

13. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायते प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

14. विज्ञापन में किसी भी विवाद की स्थिति में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

नोट :- सभी नियम एवं शर्तें अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के अनुरूप होगी।


PRINCIPAL
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया
(जिला-कबीरधाम (C.G.T.))
14.10.26